बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 235290 पटना, दिनांक:- 18/06/15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(वि0परि0बं0म0)-102-05/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत मुक्त बंधुआ मजदूर तथा मैला ढोने वाले बी.पी.एल. परिवारों के पुनर्वास हेतु विशेष परियोजना प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-197211 दिनांक-21.08.14 एवं 209734 दिनांक-24.11.14

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास की वर्ष 2013 की मार्गदर्शिका की कंडिका-3.2.4 में केन्द्र सरकार के स्तर पर 5% की सुरक्षित राशि से प्राकृतिक आपदा, विधि व्यवस्था से प्रभावित परिवारों के अतिरिक्त आदिम जाति, मुक्त बंधुआ मजदूर, मैला ढोने वाले परिवारों को पुनर्वासित कराने हेतु विशेष परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति (Empower Committee) को भेजा जाना है । इस संबंध में प्रासंगिक विभागीय पत्र के द्वारा समय-समय पर निदेश दिया जाता रहा है ।

श्रम संसाधन विभाग, बिहार से प्राप्त मुक्त बंधुआ मजदूरों की सूची विभागीय पत्रांक-178972 दिनांक-26.02.14 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी, खगडिया, पटना, बेगूसराय, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, सुपौल, नवादा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालन्दा, अररिया, पूर्णियॉ, गया, समस्तीपुर, जहानाबाद एवं अरवल को तथा विभागीय पत्रांक-180484 दिनांक-12.03.14 द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालन्दा, अररिया, पूर्णियॉ, कटिहार एवं शेखपुरा प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया था कि सूची को सत्यापित कराकर इसके अतिरिक्त भी यदि कोई मुक्त बंधुआ मजदूर के परिवार हो तो उन्हें पुनर्वासित करने के लिए विहित प्रपत्र में विशेष परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध करायी जाय ।

इनमें से नालन्दा जिला द्वारा 43 बंधुआ मजदूरों की सूची के विरूद्ध मात्र 4 (चार) परिवारों को पूर्व से इंदिरा आवास की सुविधा दिये जाने तथा 2 (दो) परिवार के लिए विशेष परियोजना प्रस्ताव भेजे गये । शेष 37 परिवारों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी । इसी प्रकार नालन्दा जिला को भेजे गये 150 परिवारों की सूची के विरूद्ध मात्र 23 परिवारों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गयी । अन्य जिलों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जो खेदजनक है ।

विदित है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मैला ढोने वाले एवं मुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु भेजे जाने वाले विशेष परियोजना प्रस्ताव के लिए उनके बी.पी.एल. होने की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया है । एतद् संबंधी भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र संख्या-M-13013/02/2014-RH दिनांक-24.02.2015 जिसे विभागीय ज्ञापांक-228386 दिनांक-16.04.15 (प्रति संलग्न) द्वारा आपको प्रेषित किया जा चुका है ।

केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर एवं मैला ढोने वाले परिवारों को पुनर्वास से संबंधित विशेष परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा नहीं प्रेषित किये जाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है तथा दिनांक 18.10.14 को बंधुआ मदजूर पर ए0एन0सिन्हा इंस्टीच्यूट, पटना में आयोजित सेमिनार में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मुक्त कराये गये सभी बंधुआ मजदूर को इंदिरा आवास दिये जाने की घोषणा की गयी है । इस संबंध में पूर्व में भी आपको अवगत कराया जा चुका है ।

अतः अनुरोध है कि जिलान्तर्गत मैला ढोने वाले एवं मुक्त बंधुआ मजदूर के परिवारों को चिन्हित कर (विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रम संसाधन विभाग की सूची सहित) भारत सरकार द्वारा संशोधित मार्गदर्शिका के आलोक में योग्य परिवारों को पुनर्वासित करने के लिए विशेष परियोजना प्रस्ताव तैयार कर तुरत विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 18/6/15

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 235290 पटना, दिनांक 18/06/15

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव 18/6/15

C.W. 96408/11

(15) (126)

सं. एम-13013/02/2014-आरएच

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 24 फरवरी, 2015

सचिव कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग
पत्र पंजी
23 MAR 2015
संख्या 119
बिहार, पटना

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ग्रामीण विकास विभागों के सचिव/प्रधान सचिव

2. सभी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां

विषय: मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों और मैला ढोने वालों के परिवारों की बीपीएल स्थिति को ध्यान में न रखते हुए उन्हें आईएवाई के लाभ प्रदान करना - आईएवाई के दिशानिर्देशों में संशोधन।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सचिव समिति ने 09.12.2014 को आयोजित बैठक में यह सिफारिश की है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय बीपीएल मानदंड संबंधी रोक हटाकर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्धारित मैला ढोने वालों को आवास प्रदान करने पर विचार करे। इस मामले पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आवास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु मैला ढोने वालों के मामले में गैर-बीपीएल परिवारों पर भी विचार किया जाएगा। तदनुसार आईएवाई के दिशानिर्देशों के 'विशेष परियोजनाओं' और 'कार्यान्वयन संबंधी दृष्टिकोण' के परिच्छेदों में संशोधन किया गया है, जो कि इस प्रकार है:-

मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
3.2.4 विशेष परियोजनाएं (3) मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों और मैला ढोने वालों का व्यवस्थापन	**3.2.4 विशेष परियोजनाएं** (3) मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों और मैला ढोने वालों का व्यवस्थापन **(बीपीएल स्थिति को ध्यान में न रखते हुए)**
4.1 कार्यान्वयन संबंधी दृष्टिकोण तथापि ऐसी कुछेक श्रेणियों के पात्र लाभार्थी, जो किसी ग्राम पंचायत के भीतर अलग-अलग	**4.1 कार्यान्वयन संबंधी दृष्टिकोण** तथापि ऐसी कुछेक श्रेणियों के पात्र लाभार्थी, जो किसी ग्राम पंचायत के भीतर अलग-अलग

Pl. process
OSD/KB

VKD
7/4/15

स्थानों पर रह रहे हों, को शामिल करने के लिए अलग-अलग परिवार के दृष्टिकोण का प्रयोग किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का पालन करते समय पहली वरीयता मैला ढोने वाले व्यक्तियों के परिवारों को दी जाएगी जिनमें पुनर्वासित व्यक्ति एवं पुनर्वासित बंधुआ मजदूर भी शामिल होंगे।	स्थानों पर रह रहे हों, को शामिल करने के लिए अलग-अलग परिवार के दृष्टिकोण का प्रयोग किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का पालन करते समय पहली वरीयता **बीपीएल स्थिति को ध्यान में न रखते हुए बंधुआ मजदूर और मैला ढोने वालों के परिवारों** को दी जाएगी।

सभी जिला कलैक्टरों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को तदनुसार आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

भवदीय,

(एस. राकेश कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
टे.नं. 23381272

प्रति प्रेषित:

अपर सचिव (आरएल)/संयुक्त सचिव (एसए)/संयुक्त सचिव (आरई)/संयुक्त सचिव (आरसी)/संयुक्त सचिव (कौशल)
ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव/राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास) के निजी सचिव
सचिव (ग्रामीण विकास) के प्रधान निजी सचिव
विशेष सचिव (ग्रामीण विकास) के प्रधान निजी सचिव
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
निदेशक (वित्त)
निदेशक (आरएच)
आईएवाई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी

भवदीय,

(एस. राकेश कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
टे.नं. 23381272

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

जापांक 228386 पटना, दिनांक 16/04/15

ग्रा.वि.-5/इं.आ.यो.(मार्गदर्शिका)-102-12/2013

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका में किये गये संशोधन के आलोक में योजना का कार्यान्वयन कराने की कृपा करेंगे ।

16/4/15